मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल - 462 016

फोन नं. 0755-2430154, 2464643, फैक्स न. 2981055

ई-मेल- secretary@mperc.nic.in, वेबसाइट-www.mperc.in

क्रमांकः म.प्र.वि.नि.आ./आर.ई./ 2025/2505 भोपाल, दिनांकः **24 दिसम्बर, 2025**

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 140/2025)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा **''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 [आरजी-35 (III) वर्ष 2021] यथा संशोधित''** अधिसूचित किया गया (जिसे आगे टैरिफ विनियम उल्लेखित किया गया है)।

याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. जबलपुर; मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल; मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर; तथा एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि.जबलपुर (जिन्हें आगे क्रमशः ''याचिकाकर्ता'' अथवा ' ईस्ट डिस्कॉम (पूर्व क्षेत्र)', सेंट्रल डिस्कॉम (मध्य क्षेत्र)', वेस्ट डिस्कॉम (पश्चिम क्षेत्र)', तथा 'एमपीपीएमसीएल', उल्लेखित किया गया है) राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

टैरिफ विनियम के विनियम 7.2 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष दिनांक 28 नवंबर' 2025 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पुनरीक्षित समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा वित्त वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा प्रदाय टैरिफ पर विचार एवं अनुमोदन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की है। इस याचिका को दिनांक 09/12/2025 को आयोजित सुनवाई में आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हितधारकों से उक्त याचिका पर आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ/सुझाव इस सूचना के माध्यम से आमंत्रित हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की पुनरीक्षित समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित तालिका में दिया गया है:-

तालिक11: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश :

सभी आंकड़े रु करोड़ में

विवरण	म.प्र. राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
विद्युत क्रय की लागत (वितरण कंपनियोंको आवंटित एम.पी.पॉ.मैं.कं. की लागत सहित)	42,197	11,019	11,286	19,892
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण (म.प्र.ट्रांसको) प्रभारराज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार सहित	6,356	2,182	2,102	2,072
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	1,320	522	488	310
कर्मचारी व्यय	3,994	1,373	1,295	1,326
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	462	152	138	172
अवमूल्यन	1,191	449	398	345
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,444	503	649	292
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं सँदिग्ध ऋण)	12	4	4	4
लीज प्रभार-स्मार्ट मीटर पर	514	165	276	73
अंशपूंजी पर प्रतिलाभ	862	313	351	199
अंशपूंजी पर प्रतिलाभ सहित कुल व्यय	**58,352**	**16,682**	**16,986**	**24,684**
घटायें: अन्य आय (विलम्बभुगतान प्रभार को छोड़कर)	793	354	138	300
कुल सकल राजस्व आवश्यक्ता	**57,559**	**16,328**	**16,848**	**24,384**
विद्युत क्रय अतिरिक्त लागत का प्रभाव *	3,451	983	1,114	1,353
वितरण कंपनियों के वित्त वर्ष 2024-25 के सत्यापनका प्रभाव *	4,365	1,229	2,764	371
सत्यापन राशि को शामिल कर कुल राजस्व आवश्यक्ता (अ)	**65,374**	**18,540**	**20,726**	**26,108**
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	59,331	16,826	18,810	23,694
कुलराजस्व अंतर (अ-ब)	**6,044**	**1,714**	**1,916**	**2,414**
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्तराजस्व	65,374	18,540	20,726	26,108
प्रस्तावित दरों पर अंतर	0	0	0	0

* एम पी डिस्कॉम की वित्तीय वर्ष 2024-25 की ट्रू-अप याचिका के अनुसार।

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वर्तमान दरों पर विद्युत के खुदरा विक्रय से रुपये 59,331 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है जिससे रुपये 6,044 करोड़ का राजस्व अंतर रहेगा। याचिकाकर्ताओं ने इस राजस्व अंतर की पूर्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये दरों के पुन:रीक्षण से किये जाने का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये याचिकाकर्ताओं द्वारा 10.19 प्रतिशत दर वृद्धि के प्रस्ताव के साथ राजस्व अंतर रुपये 6,044 करोड़ की भरपाई निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित किया है:-

तालिका2: राज्य के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित दरों का राजस्व पर प्रभार:

	दर श्रेणी	विक्रय	प्रचलित दरों परराजस्व	प्रस्तावित दरोंपर राजस्व	प्रस्तावित दरोंपर अतिरिक्त राजस्व
		मि.यू	रु करोड़	रु करोड़	रु करोड़
एल.वी.-1	घरेलू	21,899	14,785	16,158	1,373
एल.वी.-2	गैर-घरेलू	5,319	5,068	5,512	444
एल.वी.-3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	2,730	1,874	2,097	223
एल.वी.-4	निम्नदाब उद्योग	1,721	1,596	1,725	129
एल.वी.-5	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ	31,540	20,180	22,970	2,790
एल.वी.-6	ई.व्हीकल/ई.रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	12.48	8.91	9.78	0.9
	योग (निम्न-दाब)	**63,222**	**43,513**	**48,472**	**4,959**
एच.वी.-1	रेल्वे कर्षण	55	36	38	2
एच.वी.-2	कोयला खदाने	510	460	489	29
एच.वी.-3.1	औद्योगिक	11,820	9,445	10,030	585
एच.वी.-3.2	गैर-औद्योगिक	1,709	1,557	1,661	105
एच.वी.-3.3	शॉपिंग मॉल	104	87	93	6
एच.वी.-3.4	गहन पावर उद्योग	2,963	1,660	1,858	199
एच.वी.-4	मौसमी	37	42	43	1
एच.वी.-5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवँ कृषि संबंधितअन्य उपयोग	2,515	2,105	2,242	137
एच.वी.-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	445	357	376	19
एच.वी.-7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	41	51	54	3
एच.वी.-8	उच्च-दाब ई.व्हीकल/ई.रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	13	9	10	1
एच.वी.-9	मेट्रो रेल	10	10	9	(1)
	योग (उच्च-दाब)	**20,223**	**15,818**	**16,903**	**1,085**
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	**83,444**	**59,331**	**65,374**	**6,044**

उपर्युक्त प्रस्तावित टैरिफ में **टैरिफ संरचना तथा सामान्य निबधंन एवं शर्तों** में कुछ प्रस्तावित परिवर्तन भी शामिल हैं, जिनका विस्तृत वर्णन तथा कारण याचिका में दिया गया है। मुख्य परिर्वतन प्रस्ताव निम्नानुसार है:

1 **एलवी-1.2 घरेलू श्रेणी में टैरिफ स्लैब का सरलीकरण:** घरेलू टैरिफ की उप-श्रेणियों के सरलीकरण के उद्देश्य से, **"151 - 300 यूनिट"** के मौजूदा टैरिफ स्लैब को **"151 यूनिट से ऊपर"** के रूप में संशोधित करने तथा **"300 यूनिट से अधिक"** स्लैब को विलोपित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

2 **टैरिफ एल.वी.5 की उपश्रेणीयों के अंतर्गत स्लैब का एकीकरण:** विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 तथा सब्सिडी लेखाकंन एवं संवितरण के संबंध में केंन्द्रीय पॉवर मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के सुगम क्रियानवयन हेतु, एल.वी-5.1 एवंएल.वी-5.4 टैरिफ उप-श्रेणीयों के मौजूदा सभी टैरिफ स्लैबों को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित टैरिफ को सभी स्लैबों से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व को ध्यान में रखते हुए राजस्व-निष्पक्ष (revenue neutral) दृष्टिकोण अपनाकर निर्धारण किया गया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत अस्थायी कनेक्शन हेतु टैरिफ इन श्रेणियों के सामान्य टैरिफ का 1.25 गुना प्रस्तावित है।

3 **एच.टी. श्रेणीयों के लिए केवीएच (kVAh) बिलिंग का प्रस्ताव** : उपभोक्ताओं के साथ-साथ लाइसेंसधारी के लिए kVAh बिलिंग के लाभों को ध्यान में रखते हुए, एच.टी. श्रेणी में kVAh बिलिंग को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। kVAh आधारित बिलिंग से बिलिंग संरचना का सरलीकरण होगा तथा उपभोक्ताओं के पॉवर फैक्टर के आधार पर लागू होने वाले दंड एवं प्रोत्साहन (penalties & incentives) स्वतः सम्मिलित हो जाएंगे। एचटी उपभोक्ताओं हेतु kVAh टैरिफ का निर्धारण, टैरिफ न्यूट्रैलिटी सुनिश्चित करने तथा वर्तमान पॉवर फैक्टर आधारित प्रोत्साहन/अधिभार को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त कन्वर्ज़न फैक्टर के विस्तृत अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

4 **उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टी.ओ.डी. (ToD) टैरिफ की पुर्नसंरचना:** रात्रि के घंटों (10:00 PM से 6:00 AM (अगले दिवस)) में विद्युत की औसत लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, और यदि इन घंटों में ToD छूट दी जाती है तो यह न केवल लागत प्रतिबिंबित टैरिफ की वसूली को प्रभावित करेगा, बल्कि डिस्कॉम के अन्य उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाल सकती है। अतः विद्युत क्रय लागत के अनुकूलन के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया गया है कि 10:00 PM से 6:00 AM तक ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य दरों पर बिल किया जाए।

5 **एच.वी.-3 श्रेणी (सभी उप-श्रेणियों) के उपभोक्ताओं हेतु विद्यमान छूट की निरंतरता:** मध्यप्रदेश राज्य में ऊर्जा अधिशेष की स्थिति को देखते हुए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ रियायतें लागू की गई थीं। अब, आगामी वर्ष के कुछ महीनों में राज्य में ऊर्जा अधिशेष रहने की संभावना को देखते हुए, HV-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में लागू रियायतों को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी जारी रखने का प्रस्ताव निम्नलिखित युक्तिसंगत परिवर्तनों के साथ किया गया है:

- मौजूदा उच्च दाब उपभोक्ताओं को वृद्धि शील खपत छूट प्रदान करने हेतु आधार वर्ष को **पांचवां पूर्ववर्ती वर्ष** रखने का प्रस्ताव है।
- नए उच्चदाब कनेक्शनों पर दी जा रही वर्तमान रिबेट को कनेक्शन की तिथि से दस वर्ष (120 माह) तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव है।

6 चूंकि एचटी उपभोक्ताओं के लिए केवीएएच बिलिंग प्रस्तावित है, अत: पीएफ प्रोत्साहन/ छूट तथा अधिभार के मौजूदा प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसे हटाने का प्रस्ताव है।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां/टीप/सुझाव दस्तावेजों तथा प्रमाण सहित, यदि कोई हो तो, तीन प्रतियों में सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक 25/01/2026 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। (आपत्तियां/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई-मेल (secretary@mperc.nic.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है जिनकी मूल प्रतियां दिनांक 25/01/2026 तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए) आपत्तियों/टीप/सुझावों की एक प्रति संबिधित डिस्कॉम तथा म.प्र.पा. में कंपनी लि. को भी (ई-मेल (setracez@yahoo.com.in द्वारा पूर्व क्षेत्र, cecomwz@gmail.com द्वारा पश्चिम क्षेत्र, regulatorycell@gmail.com द्वारा मध्य क्षेत्र तथा cgmrmmppmcl@gmail.com द्वारा एमपीपीएमसीएल) प्रेषित की जावे, दिनांक 25/01/2026 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 25/01/2026 तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड, इन्दौर अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए रू. 1000/- के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय "उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. इन्दौर" अथवा ''क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. भोपाल'', के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है । याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की नियामक आयोग की वेबसाइट https://mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट क्रमश: https://www.mppmcl.com/, https://www.mpez.co.in/, https://www.mpwz.co.in/#/home एवं https://portal.mpcz.in/web/ पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र हेतू क्रमश: दिनांक 24/02/2026, 25/02/2026 एवं 26/02/2026 को प्रातः 11.00 बजे आयोग के कोर्ट कक्ष में हाईब्रिड मोड में जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में आयोग में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे भौतिक रूप से उपस्थित होकर अथवा ऑनलाईन अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-

मेल आई.डी. सहित आयोग सचिव को secretary@mperc.nic.in पर भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार ऑनलाईन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव